

तारीख
हुक्म

01/17 आम जनता भण्डावरी v/s शिवकुमार
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

29-7-19 कायदेवता काशीगिरा उपस्थित राजकीय
कायदेवता उपस्थित काशीगिरा का आपत्ति
में उपस्थित नहीं एवं बंध रहे कि क्वथा और
डिमा जमा फतावती दिने 05-8-19 को पेच
दा

जिला कलेक्टर

दोहा

05-8-19 पत्रावली पेच हुई बार-बार आवाज लगवाने के उपरांत
की प्राचीन क्वथा कायदेवता काशीगिरा में से
ऊई की उपस्थित नहीं हुआ। इसी स्थिति में
प्राचीन आम जनता भण्डावरी तहसील लालमोह
जशिये मीठालाल पुत्र शैमूलाल मीणा निवासी भण्डावरी
तहसील लालमोह बगैरा द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस
क्र. 82 राजस्वात लण्ड रेवेन्यू एक्ट
1956 इनवामी आम जनता भण्डावरी तहसील
लालमोह जशिये मीठालाल बगैरा बनाम
शिवकुमार बगैरा अदम हाजरी एवं अदम
पैरनी में खारिज किया जाता है विनाम की
प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालमोह
को भिजवाई जाके पत्रावली फ़ैसल शुमार खेकर
नम्बर से कम है एवं बाद प्रति प्रविष्ट लेख
भण्डार हो। निवेद्य आज दिने 05-8-2019
को मेरे द्वारा जूल न्यायालय में सुनाया गया।



जिला कलेक्टर

दोहा